

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) चौमू, जिला जयपुर
पीतारसीन अधिकारी :- श्री विष्णु कुमार गोयल-1 (R.A.S.)

मु.सं. 73/2017

जनमान

1. अर्जुनलाल पुत्र सुल्तान
2. मदनलाल पुत्र सुल्तान
3. बनवारी लाल पुत्र सुल्तान
समस्त जाति भीणा, निवारी ग्राम उदयपुरिया, तहसील चौमू, जिला जयपुर।
-वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील चौमू जिला जयपुर।
-प्रतिवादी

वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक 11.01.2019

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण ग्राम उदयपुरिया के रहने वाले हैं तथा ग्राम उदयपुरिया, तहसील चौमू, जिला जयपुर आराजी कृषि भूमियां गत खसरा नम्बर 116 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 117 रकबा 8 बिस्वा खसरा नम्बर 119 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 118 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 120 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 121 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 122 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 123 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 124 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 125 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 126 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 140 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 122/982 रकबा 9 बिस्वा कुल कित्ता 13 का कुल रकबा 17 बीघा 7 बिस्वा स्थित थी, जिसके हाल खाता संख्या 20 पुराना खाता संख्या 22, हाल खसरा नम्बर 230 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 231 रकबा 0.18 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 232 रकबा 0.23 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 233 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 235 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 240 रकबा 0.37 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 242 रकबा 0.24 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 746 रकबा 0.89 हैक्टेयर कुल कित्ता 8 का कुल रकबा 2.25 हैक्टेयर व हाल खाता संख्या 21 पुराना खाता संख्या 24 जिसके हाल खसरा नम्बर 228 रकबा 0.56 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 229 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 234 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 236 रकबा 0.24 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 237 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 241 रकबा 0.24 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 243 रकबा 0.50 हैक्टेयर कुल कित्ता 7 रकबा 2.14 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त भूमियाँ ही इस वाद में विवादग्रस्त हैं। भूमि विवादग्रस्त के गत खसरा नम्बर जिनका वर्णन वाद पत्र के मद नम्बर 1 में किया गया है में से उसके खातेदार रामचन्द्र बाबू पिता कल्याण ने अपना हिस्सा 1/36, दाखा बेवा मुरली, फूलचन्द्र, सुरजमल, मूंगाराम, बनवारी लाल, मनोज कुमार पिता सबला, मनभरी बेवा सबला जो कि खातेदार मूल्या के वारिस हैं ने अपना हिस्सा 1/18 व रुडाराम, कानाराम पिता जोधा ने अपने पिता जोधा के नाम दर्ज हिस्से में से हिस्सा 1/18 भाग सम्पूर्ण को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 07.11.94 को प्रतिफल प्राप्त कर वादीगण को बेचान कर दिया जो विक्रय पत्र दिनांक 07.11.94 को ही उप पंजीयक चौमू के समक्ष पंजीकृत किया गया, जिसका राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज/नामान्तकरण सहवन से वादीगण

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
चौमू (जयपुर)

के नाम नहीं खुला लेकिन वादीगण अपने उक्त खरीदशुदा हिस्से पर खरीद के दिन से ही काबिज होकर निरन्तर काशत करते चले आ रहे हैं। तत्पश्चात भूमि विवादग्रस्त के नये खसरा नम्बरान में से खातेदार भूरीदेवी पत्नी गूल्या का हिस्सा 1/36 व गिल्कू पत्नी शिवकरण का हिस्सा 1/44 अर्थात् भूमि विवादग्रस्त में से कुल 5/144 भाग को उक्त खातेदान ने मोहनलाल पुत्र रूडमल, शांति देवी पत्नी मोहन लाल व नारायण पुत्र भूरा को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 16.11.94 को प्रतिफल प्राप्त कर अपने समस्त हक अधिकारों व कब्जे सहित बेचान कर दिया व उक्त हिस्से पर मोहनलाल, शांति देवी, नारायण काबिज हुये, जिसका नामान्तकरण उक्त केताओं ने नहीं खुलवाया, जो विक्रय पत्र दिनांक 16.11.94 को उप पंजीयक चौमू के यहां बुक नम्बर 1 जिल्द संख्या 54 पृष्ठ संख्या 196 से कम संख्या 675 पर पंजीबद्ध तथा एडिशनल बुक नम्बर 93 के पृष्ठ संख्या 356 से 359 पृष्ठ पर चरपा किया गया है। तत्पश्चात उक्त विक्रय पत्र दिनांक 16.11.94 के जरिये अपने खरीदशुदा व कब्जेशुदा, मालिकाना हक अधिकार की भूमि हिस्सा 5/144 में उक्त मोहन लाल व शांति देवी ने अपना 2/3 हिस्सा दिनांक 28.05.96 को प्रतिफल प्राप्त कर वादीगण को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र बेचान कर दिया व उक्त 2/3 हिस्से के संबंध में अपने समस्त मालिकाना हक अधिकार व कब्जा वादीगण को सुपुर्द कर दिया जो विक्रय पत्र दिनांक 28.05.96 को उप पंजीयक चौमू के यहां बुक संख्या 1 जिल्द संख्या 67 पृष्ठ संख्या 80 के कम संख्या 776 पंजीबद्ध किया जाकर एडिशनल बुक नम्बर 104 के पृष्ठ संख्या 1124 से 1127 पर पंजीबद्ध किया गया। उक्त विक्रय पत्र के समय से लेकर आज दिवस तक वादीगण अपनी उक्त खरीदशुदा, कब्जेशुदा, मालिकाना हक अधिकार की भूमि पर भूमि विवादग्रस्त में निहित अपनी अन्य खातेदारी कब्जे काशत की भूमियों सहित निरन्तर काबिज काशत है व उपयोग उपभोग कर रहे हैं। जिसमें किसी व्यक्ति ने कोई दखल रुकावट नहीं की है।

चूंकि विक्रय पत्र दिनांक 07.11.94 के जरिये खरीदशुदा भूमि का नामान्तकरण वादीगण ने सहवन व भूलवश नहीं खुलवाया था व उसके बाद वादीगण ने विक्रय पत्र दिनांक 16.11.94 के जरिये ही 5/144 में से 2/3 भाग जरिये विक्रय पत्र खरीद कर लिया, उसका भी नामान्तकरण विक्रेताओं ने नहीं खुलवाया व विक्रय पत्र के आधार पर ही वादीगण ने स्वयं के पक्ष में विक्रय पत्र दिनांक 28.05.1996 को निष्पादित करवाया, जिसका भी सहवन से खाता/नामान्तकरण नहीं खुलवाया गया। जिस बाबत अर्थात् अपने उक्त खरीदशुदा भाग का नामान्तकरण खुलवाने बाबत वादीगण ने ग्राम पंचायत में कई बार आवेदन दिए लेकिन ग्राम पंचायत ने कोई कार्यवाही नहीं की, जिसके बाद प्रतिवादी को भी वादीगण ने काफी बार कहा व प्रार्थना पत्र देने गए, तो उन्होंने प्रार्थना पत्र नामान्तकरण खोलने बाबत नहीं लिया ना ही भूमि विवादग्रस्त का नामान्तकरण खोला व दिनांक 11.10.2017 को जब वादीगण प्रतिवादी के यहां पुनः उक्त दोनों विक्रय पत्रों दिनांक 07.11.94 व 28.05.96 के आधार पर अपने खरीदशुदा, कब्जेशुदा हिस्से का नामान्तकरण खुलवाने हेतु प्रार्थना पत्र देने गए तो प्रतिवादी ने नामान्तकरण खोलने से स्पष्ट इनकार कर दिया, जबकि विक्रय पत्र दिनांक 07.11.94 व 28.05.96 के आधार पर वादीगण के नाम नामान्तकरण खाला जाना प्रतिवादी की विधिक जिम्मेदारी थी, जिसका निर्वहन प्रतिवादी ने नहीं किया व गलत रूप से वादीगण को भूमि विवादग्रस्त में उसके उक्त विक्रय पत्र दिनांक 07.11.94 व 28.05.96 के आधार पर क्रयशुदा भाग की भूमि से जबरन बेदखल कर कब्जेराज में उक्त भूमि को लेने की धमकी दी गई। जिस कारण वादीगण को यह वाद श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
चौमू (जयपुर)


प्रतिवादी को कोई विधिक हक अधिकार प्राप्त नहीं है कि वे भूमि विवादग्रस्त में वादीगण के द्वारा जरिये विक्रय पत्र दिनांक 07.11.94 व 28.05.96 के क्रयशुदा, कब्जेशुदा, मालिकाना हक अधिकार के हिस्से की भूमि का नामान्तरण दर्ज नहीं करें, वादीगण को उक्त विवादग्रस्त भूमि में निहित उनके उक्त क्रयशुदा भूमि से जबरन बेदखल कर कब्जेराज में लें। वादी को पूर्ण विधिक हक अधिकार प्राप्त है कि वे भूमि विवादग्रस्त में से विक्रय पत्र दिनांक 07.11.94 व 28.05.96 के आधार पर अपने खरीदशुदा, कब्जेशुदा भूमि में हिस्से निहित अपने भाग का स्वयं को खातेदार काश्तकार घोषित करवाये व तदनुसार नामान्तरण अपने नाम से खुलवाये व राजस्व जमाबन्दी में अमल दरामद करवायें व प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवायें कि प्रतिवादी भूमि विवादग्रस्त में विक्रय पत्र दिनांक 07.11.94 व 28.05.96 के जरिये खरीदशुदा, कब्जेशुदा भाग का वादीगण के नाम से नामान्तरण दर्ज करें व वादीगण को भूमि विवादग्रस्त में विक्रय पत्र दिनांक 07.11.94 व 28.05.96 के आधार पर क्रयशुदा, कब्जेशुदा भाग की भूमि से जबरन बेदखल नहीं करें, ना ही कब्जेराज में उक्त भूमि लें। अगर भूमि विवादग्रस्त का वाद पत्र के मद संख्या 5 में वर्णितानुसार वादीगण द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 07.11.94 व 28.05.96 के खरीदशुदा, कब्जेशुदा भाग का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित नहीं किया गया व तदनुसार नामान्तरण दर्ज नहीं किया गया व प्रतिवादी को वाद पत्र के मद संख्या 5 में वर्णितानुसार स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया, तो प्रतिवादी भूमि विवादग्रस्त में वादीगण के विक्रय पत्र दिनांक 07.11.94 व 28.05.96 के जरिये क्रयशुदा, कब्जेशुदा भाग की भूमि से वादीगण को जबरन बेदखल कर कब्जेराज में उक्त भूमि ले लेंगे, जिससे वादी की सम्पत्ति छीन जावेगी व साम्प्रतिक अधिकारों पर कुठाराघात होगा व वाद बाहुल्यता बढेगी। वादी को वाद कारण दिनांक 11.10.2017 को प्रतिवादी द्वारा वाद पत्र के मद नम्बर 3 में वर्णित धमकी दिये जाने व वादीगण द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 07.11.94 व 28.05.96 के आधार पर क्रयशुदा भाग की भूमि से जबरन बेदखल कर कब्जेराज में उक्त भूमि को लेने आदि करने की धमकी देने से उत्पन्न होने से वाद श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

वाद वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे:-

(क) वाद वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी घोषणा का डिक्री किया जाकर वादीगण को भूमि विवादग्रस्त से विक्रय पत्र दिनांक 07.11.94 व 28.05.96 के आधार पर अपने खरीदशुदा, कब्जेशुदा भूमि में हिस्से निहित अपने भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व तदनुसार नामान्तरण वादीगण के नाम से खोला जावे व राजस्व जमाबन्दी में अमल दरामद किया जावे।

(ख) वाद वादी विरुद्ध प्रतिवादी स्थायी निषेधाज्ञा का डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि प्रतिवादी भूमि विवादग्रस्त में विक्रय पत्र दिनांक 07.11.94 व 28.05.96 के जरिये खरीदशुदा, कब्जेशुदा भाग का वादीगण के नाम नामान्तरण दर्ज करे व वादीगण को भूमि विवादग्रस्त में विक्रय पत्र दिनांक 07.11.94 व 28.05.96 के आधार पर क्रयशुदा, कब्जेशुदा भाग की भूमि से जबरन बेदखल नहीं करें, ना ही कब्जे राज में उक्त भूमि को लें। उक्त समस्त कृत्य प्रतिवादी न तो स्वयं करें, ना ही अपने एजेन्ट सर्वेन्ट या वर्कमैन से करवायें।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी के अधिवक्ता ने जवाब वाद पत्र एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की। जो शामिल पत्रावली है। प्रतिवादी ने अपने जवाब व रिपोर्ट में निम्न प्रकार से अवगत करवाया है कि जमाबन्दी सम्बत् 2070-73 ग्राम उदयपुरिया में खाता संख्या 20


सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
दौमूं (जयपुर)

खाता संख्या 21 में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 230, 231, 232, 233, 235, 240, 242, 246 कुल किता 8 का कुल रकबा 2.25 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 228, 229, 234, 236, 237, 241, 243 कुल किता 7 का कुल रकबा 2.14 हैक्टेयर दर्ज है। मुताबिक नकल मिलान क्षेत्रफल के उक्त हाल खसरा नम्बर गत खसरा नम्बर 116 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 117 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 119 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 118 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 120 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 121 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 122 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 123 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 124 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 125 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 126 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 140 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 122/982 रकबा 9 बिस्वा, कुल किता 13 का कुल रकबा 17 बीघा 7 बिस्वा से बने हैं। नकल मुताबिक विक्रय पत्र दिनांक 07.11.1994 पृ0 सं01 जिल्द संख्या 54 पृष्ठ संख्या 155 क्रम संख्या 634 के उक्त गत खसरा नम्बर किता 13 रकबा 17 बीघा 7 बिस्वा में खातेदार रामचन्द्र, बाबू पि0 कल्याण हि0 1/36, दाखा बेवा मुरली, फूलचन्द, सूरजमल, मूंगाराम, बनवारी, मनोज कुमार पि0 सबला, मनभरी बेवा सबला, हि0 1/18, रूडाराम, कानाराम पि0 जोधा हि0 1/18 समस्त जाति मीणा द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा श्री अर्जुन, मदन, बनवारी पि0 सुल्तान जाति मीणा, निवासी उदयपुरिया का किया गया है। जिसका नामान्तरण आज तक नहीं खोला हुआ है। तत्पश्चात् मुताबिक विक्रय पत्र दिनांक 16.11.1994 बु0 नं0 1 जिल्द संख्या 54 पृ0 सं. 196 क्र.सं. 675 के हाल खसरा नम्बर 228 लगा0 237, 240 लगा0 243, 746 कुल किता 15 का कुल रकबा 4.26 हैक्टेयर में खातेदार भूरी बेवा मूल्या, हि. 1/36 व मिल्कू बेवा शिवकरण हि0 1/144, जाति मीणा, निवासी उदयपुरिया द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा नारायण पुत्र भूरा व मोहनलाल पुत्र रूडमल, शान्ति देवी पत्नी मोहनलाल, जाति मीणा निवासी उदयपुरिया को बेचान किया गया है तथा इसी विक्रय पत्र के आधार पर प्रार्थी मोहन पुत्र रूडमल, शान्ति देवी पत्नी मोहनलाल, जाति मीणा ने अपना खरीदशुदा हिस्सा 5/216 को मुताबिक विक्रय पत्र के दिनांक 28.05.1996 बु0 नं0 1 जि0 सं0 67 पृष्ठ संख्या 80 क्रम संख्या 776 के श्री अर्जुनलाल, मदनलाल, बनवारीलाल पुत्रान् सुल्तान जाति मीणा निवासी उदयपुरिया को बेचान किया गया है। मुताबिक नकल मिलान क्षेत्रफल के खसरा नम्बर 228, 229, 234 लगा0 237, 240, 241, 243, 746 दर्ज है जबकि उक्त दोनों विक्रय पत्रों में खसरा नम्बर 228, 229, 234 लगा0 237, 240, 241, 243, 746 दर्ज है। अर्थात् खसरा नम्बर 228, 229, 234, 235, 236, 237, 240, 241, 243, 746 के रकबे में जमाबन्दी व विक्रय पत्रों से मेल नहीं खाता है तथा खातेदार मूल्या व जोधा पि0 मांगू की फौती का नामान्तरण भी नहीं खुला हुआ जबकि विक्रय पत्र उनके वारिसों द्वारा करवाया गया है। उक्त कारण से उक्त दोनों विक्रय पत्रों का नामान्तरण नहीं खोला गया है। अतः जवाब वाद पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वाद पत्र खारिज फरमाये जाने की कृपा करें।

प्रकरण में वादीगण ने अपने वाद पत्र के समर्थन में साक्ष्य शपथ पत्र पीडब्ल्यू-1 से पीडब्ल्यू-6 पेश किए। साक्ष्य शपथ पत्र पीडब्ल्यू-1 अर्जुन लाल, पीडब्ल्यू-2 मदन लाल, पीडब्ल्यू-3 बनवारी लाल, पीडब्ल्यू-4 रघवीर प्रसाद रैगर, पीडब्ल्यू-5 नारायण लाल, पीडब्ल्यू-6 सुरेश कुमार को परिक्षित करवाया गया तथा दस्तावेजात प्रदर्श-1 विक्रय पत्र दिनांक 28.05.1996, प्रदर्श-2 विक्रय पत्र दिनांक 07.11.1994, प्रदर्श-3 विक्रय पत्र दिनांक 16.11.1994, प्रदर्श-4 जमाबंदी संवत् 2070-73 खाता संख्या 20, प्रदर्श-5 जमाबंदी संवत् 2070-73 खाता संख्या 21, प्रदर्श-6 जमाबंदी संवत् 2054-57 खाता संख्या 19, प्रदर्श-7


सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
जौनपुर (जयपुर)

जमाबंदी संवत् 2054-57 खाता संख्या 20-21, प्रदर्श-8 गिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाये गये तथा कुर्सीनामा भी पेश किया।

प्रकरण में उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वादी के अधिवक्ता ने दौरान बहस निवेदन किया कि विक्रय पत्र दिनांक 07.11.1994 के द्वारा मूल खातेदारान रामचन्द्र, बाबूलाल पिता कल्याण हिस्सा 1/36, दाखा देवी पत्नी मुरली, फूलचन्द, सूरजमल, मूंगाराम, बनवारी, मनोज कुमार पिता सबला, मनभरी पत्नी सबला हिस्सा 1/18, रूडाराम, कानाराम पिता जोधा हिस्सा 1/18 ने क्रेता अर्जुन, मदन, बनवारी पुत्रान सुल्तान जाति मीणा, निवासी उदयपुरिया, तहसील चौमू, जिला जयपुर के नाम विक्रय किया गया था। विक्रय पत्र दिनांक 16.11.1994 के द्वारा खातेदार भूरी बेवा मूल्या हिस्सा 1/36 व मिल्कू बेवा शिवकरण हिस्सा 1/144 को बेचान क्रेता नारायण पुत्र भूरा, मोहनलाल पुत्र रूडमल, शान्ति देवी पत्नी मोहनलाल जाति मीणा, निवासी उदयपुरिया, तहसील चौमू, जिला जयपुर के नाम किया गया। तत्पश्चात् उक्त क्रेताओं द्वारा विक्रय पत्र के अनुसार ही मोहन लाल पिता रूडमल व शान्ति पत्नी मोहनलाल जाति मीणा, निवासी उदयपुरिया, तहसील चौमू, जिला जयपुर ने अपना हिस्सा 2/3 अर्थात् 10/432 हिस्सा क्रेता अर्जुन, मदन, बनवारी पुत्रान सुल्तान जाति मीणा, निवासी उदयपुरिया, तहसील चौमू, जिला जयपुर को बेचान कर दिया। उक्त विक्रय के बाद क्रेता नारायण पुत्र भूरा का हिस्सा 5/432 यथावत रहा। इस प्रकार वादीगण का उक्त आराजीयात पर क्रय हिस्से के अनुसार तत्समय से मौके पर कब्जा काशत लगातार बिना किसी बाधा के साधिकार शान्तिपूर्वक चला आ रहा है। अतः क्रेतागण का मुताबिक विक्रय पत्र के अनुसार वादीगण को खातेदार काशतकार घोषित किया जावे तथा विक्रेतागण का वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में से नाम हजफ किया जावे। प्रतिवादी के अधिवक्ता ने दौरान बहस निवेदन किया कि उक्त विक्रय पत्रों में विक्रित रकबे व जमाबंदी में दर्ज रकबा मेल नहीं खाता है तथा विरासत का नामान्तकरण खुलवाये बगैर ही वारिसान द्वारा विक्रय पत्र तस्दीक करवाया गया है। अतः वादी का वाद खारिज किया जावे।

हमने उभय पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 07.11.1994, 16.11.1994, 28.05.1996 को उक्त मूल खातेदारान से पंजिकृत विक्रय पत्र तस्दीक करवाया गया है। जिनकी विधिक औचित्यता पर संदेह नहीं किया जा सकता है। विवादग्रस्त आराजीयात की मौका व रिकॉर्ड के संबंध में भी हल्का पटवारी व तहसीलदार से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट में पटवारी हल्का ने अवगत कराया है कि वर्तमान जमाबंदी में दर्ज रकबा व विक्रय पत्र के रकबे में मिलान नहीं खाता है। लेकिन पत्रावली में मौजूद मिलान क्षेत्रफल, पूर्व जमाबंदी व वर्तमान जमाबंदी में दर्ज खसरा नम्बरों का मिलान करने पर पाया गया कि विक्रय पत्र भू-प्रबंध कार्यवाही से पूर्व के नम्बरों से तस्दीक करवाये गये हैं। भू-प्रबंध कार्यवाही के बाद पुराने खसरा नम्बर से नवीन खसरा नम्बरान अधिक बने हैं। जिनकी रकबा बरारी करने से पूर्ण रकबा बनता है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के अनुसार न्यायालय अभिमत में वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।


अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर मुताबिक उक्त पंजिकृत विक्रय पत्रों अनुसार वर्तमान जमाबंदी संवत् 2070-73 खाता संख्या 20 व 21 में विक्रय पत्र दिनांक 07.11.1994 के द्वारा मूल खातेदार रामचन्द्र, बाबूलाल पिता कल्याण हिस्सा 1/36, दाखा देवी पत्नी मुरली, फूलचन्द, सूरजमल, मूंगाराम, बनवारी, मनोज कुमार पिता सबला, मनभरी पत्नी सबला हिस्सा 1/18, रूडाराम, कानाराम पिता जोधा हिस्सा 1/18 का नाम

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
चौमू (जयपुर)

हजफ कर उनके स्थान पर वादीगण /क्रेता को व विक्रय पत्र दिनांक 16.11.1994 के द्वारा मूल खातेदार भूरी बेवा मूल्या हिस्सा 1/36 व मिल्कू बेवा शिवकरण हिस्सा 1/144 का बेचान क्रेता नारायण पुत्र भूरा, मोहनलाल पुत्र रुडमल, शान्ति देवी पत्नी मोहनलाल जाति मीणा, निवासी उदयपुरिया, तहसील चौमू, जिला जयपुर के नाम किया गया। जिसमें से उक्त क्रय आराजीयात में मोहन लाल पिता रुडमल व शान्ति पत्नी मोहनलाल द्वारा अपना हिस्सा 2/3 वादीगण को पंजिकृत विक्रय पत्र दिनांक 28.05.1996 के द्वारा विक्रय करने पर उनका नाम हजफ करते हुए वादीगण को उनके स्थान पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। मुताबिक विक्रय पत्र क्रेता नारायण पुत्र भूरा का हिस्सा 5/432 यथावत रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रैक) चौमू

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) चौमू, जिला जयपुर
पीठासीन अधिकारी :- श्री विष्णु कुमार गोयल-1 (R.A.S.)

मु० सं० 73/2017

जनमान

1. अर्जुनलाल पुत्र सुल्तान
2. मदनलाल पुत्र सुल्तान
3. बनवारी लाल पुत्र सुल्तान
समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम उदयपुरिया, तहसील चौमू, जिला जयपुर।
-वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील चौमू जिला जयपुर।
-प्रतिवादी

वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वादी व प्रतिवादीगण भिनजामिन मुददई रूबरू श्री विष्णु कुमार गोयल-1 आरएएस भिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :-

वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर मुताबिक पंजीकृत विक्रय पत्रों अनुसार वर्तमान जमाबंदी संवत् 2070-73 खाता संख्या 20 व 21 में विक्रेतागण विक्रय पत्र दिनांक 07.11.1994 के द्वारा मूल खातेदार रामचन्द्र, बाबूलाल पिता कल्याण हिस्सा 1/36, दाखा देवी पत्नी मुरली, फूलचन्द, सूरजमल, मंगाराम, बनवारी, मनोज कुमार पिता सबला, मनभरी पत्नी सबला हिस्सा 1/18, रुड़ाराम, कानाराम पिता जोधा हिस्सा 1/18 का नाम हजफ कर उनके स्थान पर वादीगण/क्रेता को व विक्रय पत्र दिनांक 16.11.1994 के द्वारा मूल खातेदार भूरी बेवा मूल्या हिस्सा 1/36 व मिल्कू बेवा शिवकरण हिस्सा 1/144 का बेचान क्रेता नारायण पुत्र भूरा, मोहनलाल पुत्र रुडमल, शान्ति देवी पत्नी मोहनलाल जाति मीणा, निवासी उदयपुरिया, तहसील चौमू, जिला जयपुर के नाम किया गया। जिसमें से उक्त क्रय आराजीयात में मोहन लाल पिता रुडमल व शान्ति पत्नी मोहनलाल द्वारा अपना हिस्सा 2/3 वादीगण को पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 28.05.1996 के द्वारा विक्रय करने पर उनका नाम हजफ करते हुए वादीगण को उनके स्थान पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। मुताबिक विक्रय पत्र क्रेता नारायण पुत्र भूरा का हिस्सा 5/432 यथावत रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

निजीमुबलिक बाबत खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह
..... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक को अदा करें।

वसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 11.01.2019 को जारी किया गया।




दस्तावेजक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक)
चौमू (जयपुर)

ओहदा.....

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	2	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	1
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	1	अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड़	3	जोड़	1




सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
चौभू (जयपुर)